

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2018

दिनांक: 27 मार्च, 2018

सेवा में

1. मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
सरदार पटेल भवन,
नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव
कर्नाटक सरकार,
बंगलुरु।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कर्नाटक
बंगलुरु।

विषय: कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2018 - सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

महोदय,

मुझे, आयोग के प्रेस नोट दिनांक 27 मार्च, 2018 (आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध प्रेस नोट), को संदर्भित करने का निदेश हुआ है जिसमें कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणाम पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा:-

- क) देश के किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
- ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्तु फील्ड में वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
- ग) पूरे हो गए कार्य(यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों।
- घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्थल पर पहुँच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।

भवदीय,

(नरेन्द्र नाथ बुटोलिया)
प्रधान सचिव